झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
अष्टम (बजट) सत्र

वर्ग–04

अल्पसूचित प्रश्न,शुक्रवार,दिनांक– 04 चैत्र, 1944 {श0} / 25 मार्च 2022 {ई0} को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क0सं0	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
''क''217.अ0सू0–46		श्री सरयू राय	तट को सुदृढ़ कराना।	जल संसाधन	19.03.22

नोटः–''क'' अ0सू0–46, दिनांक–24.03.2022 से सदन द्वारा दिनांक–25.03.2022 के लिए स्थगित।

रॉंची,
दिनांक–25 मार्च,2022(ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020.....1519...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः–24/03/22

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/22
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020.....1519...../वि0स0,राँची,दिनांकः–24/03/22

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय,संयुक्त सचिव,प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

24/03/022

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2020.....1519...../वि0स0,राँची,दिनांकः–24/03/22

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/ बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

24/03/022

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

राजेन्द्र/–

24.03.22

सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम (बजट) सत्र

वर्ग–04

शुक्रवार,दिनांक---------- 04 चैत्र, 1944 (श0)
25 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या – 01 (एक)

(1) जल संसाधन विभाग – 01 (एक)

कुल योग– 01 (एक)

तट को सुदृढ़ कराना।

"क"217 **श्री सरयू रायः**–क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें किः-

1.	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा नदी में जमशेदपुर के पास वर्ष 2008 में जितनी मात्रा में जल प्रवाह से जलस्तर जितना ऊँचा उठता था उतना ऊँचा जलस्तर अब 2008 के जल प्रवाह से आधी मात्रा के जल प्रवाह से ही उठ जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके कारण मानगो पूल के नीचे स्वर्णरेखा नदी के दाहिने तट की ओर से तेजी से कटाव हो रहा है जिसके कारण बारीडीह के निकट स्वर्णरेखा किनारे स्थापित मोहरदा पेयजला –पूर्ति परियोजना पर संकट उत्पन्न हो गया है,जिसे रोकने के लिए स्वर्णरेखा नदी तट का सुदृढ़ीकरण आवश्यक हो गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में अचानक आनेवाली बाढ़ का पानी स्वर्णरेखा के दोनों तटों के निचले मुहल्लों में उतर जाता है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मोहरदा पेयजलापूर्ति परियोजना के समीपवर्ती तट को सुदृढ़ करने तथा मुहल्लों में पानी जाने से रोकने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) की अगली बैठक में विचार हेतु रखा जायेगा। तकनीकी सलाहकार समिति की सुझाव/ अनुशंसा के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

नोटः–"क"217– अ0सू0–46,दिनांक–24.03.22 से सदन द्वारा दिनांक–25.03.22 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–25 मार्च,2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम् (बजट)– सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 04 चैत्र, 1943 [श0] ....को 25 मार्च, 2022 [ई0]

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क" 125 (उत्तर मुद्रित)	अ0सू0–31	डॉ0 लम्बोदर महतो	शराब बंदी	उत्पाद एवं मद्य निषेध	27.02.22
224 (उत्तर विलम्ब)	अ0सू0–54	श्री प्रदीप यादव	प्रारम्भ करना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	15.03.22
225	अ0सू0–56	श्री सरयू राय	अतिक्रमण रोकना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.03.22
* 226	अ0सू0–45	श्री राजेश कच्छप	दंडात्मक कार्रवाई	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	07.03.22
227	अ0सू0–53	श्रीमती पुष्पा देवी	मानदेय समान करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	10.03.22
228	अ0सू0–48	श्री राजेश कच्छप	बोर्ड का गठन	विधि	07.03.22
229	अ0सू0–44	श्री सरयू राय	चिकित्सको का वेतनमान	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	07.03.22
230	अ0सू0–27	श्री प्रदीप यादव	विशेष योजना	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	25.02.22

* श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक 517 दि० 24.03.2022 के द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
231	अ0सू0–55	श्री विनोद कुमार सिंह	स्थाईकरण करना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	15.03.22
232	अ0सू0–46	श्री सुदेश कुमार महतो	स्थायी समायोजन	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	07.03.22
233	अ0सू0–26	डॉ0 इरफान अंसारी	मुख्यमंत्री असाध्य योजना	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	25.02.22
234	अ0सू0–51	श्री बिरंची नारायण	समुचित कार्यवाई	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	09.03.22
235	अ0सू0–06	श्री बिरंची नारायण	भूमि पहचान संख्या निर्गत करना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	25.02.22
236	अ0सू0–52	श्री राज सिन्हा	चिकित्सा पदाधिकारी का स्थानान्तरण	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	09.03.22
237	अ0सू0–14	श्री बंधु तिर्की	नियुक्ति करना	विधि	25.02.22

नोटः–"क"125 दिनांक–11.03.2022 को सदन से स्थगित।

राँची
दिनांकः–25 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1397/वि0स0, राँची, दिनांकः–21/3/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

20.03.22
(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1397/वि0स0, राँची, दिनांकः–21/3/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

20.03.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–06/2020–1397/वि0स0, राँची, दिनांकः–21/3/22

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाईन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

20.03.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा राँची।

शराब बन्दी ।

उत्तर मुद्रित

''क''125. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष-2022-23 के दौरान शराब के जरिए बढ़ोत्तरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एम०ओ०यू० किया है, चूँकि शराब की अत्यधिक बिक्री से जान-माल को काफी नुकसान होगा;

(2) क्या यह बात सही है कि मद्यपान का सबसे दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है तथा पारिवारिक, सामाजिक, कलह/हिंसा/द्वेष एवं आपराधिक गतिविधियाँ को बढ़ावा देने में मद्यपान अहम भूमिका निभा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की जनता के हित में पूरे राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के हितार्थ विभागीय संकल्प 121 दिनांक 22 जनवरी, 2021 द्वारा छत्तीसगढ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं JSBCL का परामर्शी एजेन्सी मनोनित किया गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य सरकार मदिरापान से उदभुत समस्याओं से पूर्णरूपेण उवगत है एवं राज्य सरकार सदैव स्वेप्रेरित मद्य निषेध हेतु आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनी नीतियाँ बनाती है । इसके अतिरिक्त अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य के सभी जिलों में उत्पाद एवं पुलिस विभाग के द्वारा छापामारी अभियान चलाया जाता है । वर्ष-2021-2022 तक माह फरवरी, 2022 तक 7422 अभियोग दर्ज किये गये है एवं रु०1,53,48,825/-(एक करोड़ तिरपन लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पच्चीस रुपये) संधान शुल्क भी वसूला गया है । मदिरापान को रोकने के लिए मदिरा के प्रत्येक बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबलों पर बड़े-बड़े लाल अक्षरों में यह अंकित किया जाता है कि ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।'' मद्य निषेध हेतु आमजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य में ग्राम पंचायत अंतर्गत ''नशामुक्त ग्राम'' घोषित करने हेतु नीति निर्देश, सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित है । इस योजना के तहत वैसे ग्राम, जो पूर्णत: नशामुक्त हो चुके हैं, उन गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं उन गांवों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए राज्य सरकार एक लाख रुपये का पुरस्कार देती है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व एवं राज्य हित में झारखण्ड राज्य में पूर्ण शराबबंदी की वर्त्तमान में सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

नोट:-''क'' 125 दिनांक 11 मार्च, 2022 को सदन से स्थगित ।

224

503
23/03/2022,

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–54 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि प्रवासी श्रमिकों की मौत यदि राज्य के बाहर होती है तो उनके लाशों को लाने के लिए एवं उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का अबतक कोई प्रावधान नहीं है;	**उत्तर – अस्वीकारात्मक है।** वस्तुतः वर्त्तमान अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना में प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना के कारण अन्य राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु/पूर्ण अशक्तता होने पर कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने में सम्पूर्ण व्यय एवं निबंधित पंजीकृत कर्मकार लाभुकों/आश्रितों को रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) तथा अपंजीकृत कर्मकार लाभुकों/आश्रितों को रूपये 1,00,000/– (एक लाख) के भुगतान का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है, कि इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने "SAFE AND RESPONSILE MIGRATION INITIATIVE (S.R.M.I.)" योजना सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की है;	**उत्तर – अस्वीकारात्मक है।** "SAFE AND RESPONSILE MIGRATION INITIATIVE (S.R.M.I.)" परियोजना राज्य के तीन जिलों यथा पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं दुमका जिले में संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे अविलम्ब प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

23/03/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–36/2022श्र0नि0– 503 राँची, दिनांक– 23/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1343, दिनांक–15.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2021-22\05-36-2022 ...docx

(225)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–56 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार की और निजी एवं लोक उपक्रमों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाना सरकार की नीति है और अनुमंडलाधिकारी, धलभूमगढ़ की अगुवाई में जमशेदपुर में टाटा लीज भूमि का अतिक्रमण रोकने हेतु एक समिति बनी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आरक्षी महानिदेशक के निर्देशानुसार जमशेदपुर में अवैध कब्जा के दोषियों को चिन्हित करने के लिये डीआईजी, कोल्हान ने 13.08.2020 को एसआईटी गठित किया था, जिसमें राजस्व अधिकारी के नही रहने से जाँच पूरा नही हुई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र चाईबासा के कार्यालय ज्ञापांक–1554/गो0, दिनांक– 13.08.2020 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (नगर) जमशेदपुर को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए जाँच हेतु एस0आई0टी0 का गठन किया गया था। उक्त एस0आई0टी0 में राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई थी, बल्कि उनसे समन्वय स्थापित कर जाँच करने का निदेश था।
3.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में भोजपुर घाट, बारीडीह के समीप स्वर्णरेखा में गिरने वाले नाला को भरकर एक दबंग व्यक्ति अपना अवैध कब्जा बढ़ाते जा रहा है और प्रशासन उसे रोक नही रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर घाट बारीडीह के समीप नाला किनारे कुछ व्यक्तियों के द्वारा मकान व अन्य संरचना का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिसे रोकने हेतु विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एसआईटी जाँच पूरा करने और नाला का अतिक्रमण रोकने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तरित है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–04/वि0स0 (अ0सू0)– 35/2022 1003/रा0 राँची, दिनांक– 24-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1348/वि0स0, दिनांक–16.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2022
सरकार के उप सचिव

(227)

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–53 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग की इकाई N.H.M राज्य सरकार के नियंत्राधीन है तथा इसमें कार्यरत कर्मियों के मानदेय निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि N.H.M स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार उसका अनुमोदन करती है;	यथा उपर्युक्त क्रमांक–1
3	क्या यह बात सही है कि N.H.M के तहत् कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक (सहिया) या मानदेय 51000 रू0 एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (यक्ष्मा) का मानदेय 26000 रू0 है, जो मानदेय विसंगती को दर्शाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला कार्यक्रम समन्वयक (सहिया) का मानदेय 49,299.77 रूपये एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (यक्ष्मा) का मानदेय 26,000.00 रूपये है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार N.H.M कर्मियों के हित में खण्ड (3) में वर्णित दोनों पदों का मानदेय समान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	जिला कार्यक्रम समन्वयक (सहिया) एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (यक्ष्मा) दोनों पदों की कार्य प्रकृति भिन्न है। खण्ड–1 एवं खण्ड–3 में वर्णित कर्मियों की न्यूनत्तम अहर्ता एवं कार्य प्रकृति भिन्न होने के कारण भारत सरकार द्वारा अलग–अलग मानदेय स्वीकृत है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

ज्ञापांक–21/वि0स0–06–10/2022 – 60 (21) स्वा/राँची, दिनांक 24-3-2022

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1215/वि0स0 दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.3.2022

सरकार के उप सचिव।

228

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–25.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–48 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के भिन्न–भिन्न धर्मों के हित रक्षार्थ धार्मिक न्यास बोर्ड एवं मुश्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड सरकारी स्तर पर संचालित है, परंतु राज्य के अदिवासियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि नहीं;	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य में झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (अंगीकृत) की धारा–5 की उपधारा–(1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल के अनुमोदन के आलोक में झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन विधि विभागीय ज्ञापांक–775/जे0 दिनांक–01.06.2001 द्वारा किया गया है। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या– 1034/जे0 दिनांक–05.05.2003 द्वारा प्रथम झारखंड राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 05 (पाँच) वर्षो के लिए की गई थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। विधि विभागीय अधिसूचना–सह–ज्ञापांक–1217/जे0 दिनांक–29.05.2002 द्वारा प्रथम झारखंड राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 05 (पाँच) वर्षों के लिए गई थी, जिसकी कालावधि दिनांक–28.05.2007 को समाप्त हो चुकी है। साथ ही, मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड भी गठित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि आये दिन आदिवासियों के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण /कब्जा जैसी घटनाओं कें तेजी आई है जिसकी रक्षा हेतु धार्मिक बोर्ड की जरूरत सामाजिक स्तर पर महसूस की जा रही है;	:–	वर्त्तमान में इससे संबंधित कोई भी सूचना एवं प्रस्ताव विधि विभाग को प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित विषय पर अदिवासियों के धार्मिक हित धार्मिक स्थलों की रक्षा हेतु आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	:–	कंडिका–1 एवं 2 के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए/विधि–वि0स0प्र0–14/2022–574/जे0 राँची, दिनांक–24 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1051/वि0स0, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

24/03/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

229

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–44 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2016 से 2018 के बीच टेन्योर अवधि पर पदस्थापित झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के नियमित चिकित्सकों को वेतनमान एवं अन्य कटौतियाँ नियमानुसार प्रदान करने की कार्रवाई लंबे समय से प्रक्रियाधीन है ;	झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2018 के गठन के पूर्व वर्ष–2016 से 2018 के बीच टेन्योर अवधि पर पदस्थापित झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के नियमित चिकित्सकों को उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रहे वेतन, भत्ता एवं अन्य कटौतियाँ संबंधी लाभ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्यूटर/वरीय रेजिडेंट के पर पर कार्यरत अवधि में भी देय होने से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं० 136(9) दिनांक 24.03.2022 निर्गत कर दी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना सं०–83(9) दिनांक–20.04.2020 के अनुसार झारखण्ड चिकित्सा सेवा संवर्ग के वैसे सरकारी चिकित्सक, जिनकी नियुक्ति ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेंट के पद पर नियमावली बनने के पश्चात् हुई है, को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है; वही वेतन एवं भत्ता ट्यूटर एवं वरीय रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति अवधि के लिए देय होगा। सामान्य कटौतियाँ भी नियमानुसार की जायेगी ;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अवधि में पदस्थापित चिकित्सकों को वेतनमान एवं अन्य कटौतियाँ शीघ्र प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 09/विधायी/06–06/2022 – 137 (9) राँची, दिनांक– 24.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–प्र०–1047 दिनांक–07.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.3.22
सरकार के अवर सचिव

230

506
23/03/2022

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–27 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री प्रदीप यादव,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि उत्तर भारत में असंगठित क्षेत्र के सबसे अधिक श्रमिक 62,13,957 मजदूर झारखण्ड में है, (प्रभात खबर दिनांक–26.12.2021)	**उत्तर – आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।**
2	क्या यह बात सही है कि सरकार विशेष अभियान के तहत ई–श्रम पर निबंधन कराकर समुचित लाभ देने का प्रयास कर रही है।	**उत्तर – आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।**
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जो श्रमिक (अपने खेत पर कार्यरत) ई–श्रम निबंधन की पात्रता नहीं रखते हैं, उनके लिए राज्य सरकार **''विशेष योजना''** प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वैसे कामगार जो असंगिठत कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत असंगठित कामगार की परिभाषा के दायरे में आते हैं, उन्हें के लिए असंगठित कामगारों की योजना लागू है।

23/03/2022

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–10 / 2022श्र0नि0– 506 राँची, दिनांक– 23/03/20

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–463, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(23)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-25.03.2022 को पूछा जाने वाला

अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-55 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के C.H.C, P.H.C, H.S.C में वर्ष 2007 से 5500 से ज्यादा ANM/GNM अनुबंध पर कार्यरत हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्यांतर्गत C.H.C, P.H.C, H.S.C में लगभग 5151 ANM/GNM अनुबंध पर कार्यरत है।
2. क्या यह बात सही है कि COVID-19 के आपात स्थिति में भी इन्होंने सेवा दी है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा को कारगर बनाने हेतु खण्ड-1में वर्णित ANM/GNM का स्थायीकरण का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ANM/GNM की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-46(21) दिनांक-18.12.2018 के द्वारा पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए', ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 गठित है, जिसमें स्वास्थ्य विभागान्तर्गत अनुबंध पर कार्यरत ANM/GNM को नियुक्ति में 150 (एक सौ पचास) अंकों में से 50 (पचास) अंकों की अधिमान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ANM की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2019 एवं विज्ञापन संख्या-02/2019 प्रकाशित की गई थी। परन्तु आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में कतिपय संशोधन की कार्रवाई किये जाने के कारण उक्त प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त किया गया है। पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड 'ए' ए0एन0एम0, फार्मासिस्ट प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 10/क्यु0-01-03/2022-79(10)/ दिनांक- 24/3/22

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके कार्यालय के पत्रांक-1342 दिनांक-15.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/22

सरकार के उप सचिव

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (झारखण्ड) के अधीन लगभग 1743 MPW (M) स्वास्थ्यकर्मी संविदा में कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में विभाग के अधीन कुल 1626 MPW(M) वित्त विभागीय संकल्प सं0–4569, दिनांक 05.07.2002 के आलोक में संविदा पर कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 01.08.2014 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवाही की कंडिका 03 में संविदा पर कार्यरत MPW (M) के स्थायी समायोजन हेतु संलेख तैयार कर मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थित करने का निर्णय लिया गया था ;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा MPW का पद समाप्त कर दिया गया था एवं इन कर्मियों का अनुबंध माह सितम्बर 2014 में समाप्त हो रहा था। इसलिए इन कर्मियों के समायोजन के संबंध में संलेख मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किये जाने का निर्णय दिनांक 01.08.2014 को आयोजित बैठक में लिया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 01.10.2019 को निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवा) द्वारा MPW(M) के स्थायी समायोजन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग के समक्ष उपस्थित किया गया था ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संविदा पर कार्यरत MPW (M) के स्थायी समायोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07–30/2022...183 (15) रॉंची, दिनांक–...24-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक–1048 वि0स0, दिनांक 07.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.2022

सरकार के संयुक्त सचिव।

233

डॉ०, इरफान अंसारी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.03.2022 को विधान सभा में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0– 26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि मुख्यमंत्री असाध्य योजना अंतर्गत मात्र लिवर ट्रांसप्लांटेशन, विभिन्न प्रकार के कैंसर जनित रोग, किडनी जनित रोग एवं एसिड अटैक से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों, जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0– 80,0000 तक आच्छादित है,	स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत राज्य के वैसे व्यक्तियों, जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रू0 8.00 (आठ लाख) से कम हो, को असाध्य रोगों, यथा–सभी प्रकार के कैंसर किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है, कि इस योजना अन्तर्गत उपरोक्त रोगों के अतिरिक्त अन्य असाध्य रोग जैसे हृदय रोग आदि के आच्छादित नही होने के कारण पात्र रोगियों एवं उनके परिवारों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में हृदय रोग आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल है। विभागीय संकल्प संख्या– 39(13) दिनांक 14.02.2020 के द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बीमारियों को छोड़कर असाध्य रोगों यथा–सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित बीमारियों के अतिरिक्त अन्य असाध्य बीमारियों को भी मुख्यमंत्री असाध्य योजना अन्तर्गत सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ, ता कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 13/वि0स0–7–02/2022 57(13) राँची, दिनांक: 23/03/2022

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 468/वि0स0 दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

Chandan 23/03/22

सरकार के संयुक्त सचिव

(234)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–51 का उत्तर

क्र0	प्रश्नकर्त्ता–श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, श्री जगरनाथ महतो
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के राशी थोक वितरक अनुज्ञप्तिधारी के यहाँ ESCMS Software लागू करने हेतु M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. के द्वारा Track & Trace System लागू करने के निमित्त उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु विभाग द्वारा चयन किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य में अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर नियंत्रण एवं मदिरा के End to End (उत्पाद/वितरण /बिक्री) के निगरानी एवं Online Stock Management हेतु विभागीय पत्रांक–935 दिनांक–01.06.2021 द्वारा निविदा (संशोधित) आमंत्रित की गई थी। विहित प्रक्रियाओं के तहत उक्त आमंत्रित निविदा में शामिल निविदादाताओं में से सफल निविदादाता का M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. चयन झारखण्ड राज्य में मदिरा के बोतलों/सैचेटों/कैन पर चिपकाने हेतु Security Hologram के उत्पादन एवं आपूर्त्ति के लिए किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त फर्म का चयन बिना किसी टेंडर प्रक्रिया को अपनाते हुए हुआ है और अन्य किसी संवेदक/एजेंसी द्वारा विभाग के पास उपरोक्त कार्य हेतु Apply नहीं किया गया है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त आमंत्रित होलोग्राम टेंडर में कुल 05 (पाँच) निविदादाता शामिल हुए थे, जिनकी सूची निम्नवत है :– 1. M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. 2. M/s Shivam Holopac Pvt. Ltd. 3. M/s Wonder Pac 4. M/s Manipal Technologies Ltd. 5. M/s Montage Enterprises Pvt. Ltd. आमंत्रित निविदा में प्रावधानित शर्त्तों के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत निविदादाता M/s Prizm Holography and Security Films Pvt. Ltd. का चयन किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि राजस्व पर्षद ने प्रस्तावित उत्पाद नीति में लाईसेंस फीस और उत्पाद शुल्क जैसे मुद्दे पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है और कई बिंदुओं पर असहमति जताई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से कतिपय नीतिगत परिवर्तन संबंधी विषय विचाराधीन है। झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 90 के तहत राजस्व पर्षद को कतिपय विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त है। इसी संदर्भ में विचाराधीन नीतियों की कतिपय बिन्दुओं पर राजस्व पर्षद के सुझाव एवं निदेश प्राप्त हुए हैं। प्राप्त राशी सुझावों/निदेशों के आलोक में नियमानुसार उच्च स्तरीय निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त फर्म के चयन को रद्द करते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के विरूद्ध दोषी एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कंडिका–1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
ज्ञापांक :– 4/विधायी–04–32/2022(उ0)–526 /राँची, दिनांक 16/3/2022.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–1156 दिनांक–09.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2022
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

श्री बिरंची नारायण ,मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–06 का प्रश्नोंत्तरः–

क्रं0सं0	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के सभी जिलों में भूमि विवाद से संबंधित मामले काफी तीव्र गति से बढ़ते जा रहे है और प्रतिदिन भूमि विवाद से संबंधित मामले में राज्य में कोई अपराध हो रहे है।	अस्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में भूमि विवाद का सबसे बड़ा कारण झारखण्ड में अवस्थित विभिन्न प्रकार की जमीनों और उनके कागजात जैसे कि खतियान ग्राम मानचित्र, अंचल में संधारित होने वाले पंजी–II इत्यादि का उचित रूप से संधारण नहीं होना है, जो अपराध के साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहा है,	अस्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि रिविजनल सर्वे हेतु प्रत्येक 15 वर्ष में राज्य के जमीनों का रिविजनल सर्वे करवाकर नया खतियान और नया ग्राम मानचित्र प्रकाशित करवाने का नियम है, लेकिन झारखण्ड में अधिकतर जिलों में वर्ष 1932 का खतियान और ग्राम मानचित्र ही प्रभाव में है और वर्ष 1932 के बाद से 90 वर्ष बीतने के बाद में अबतक झारखण्ड में पूर्णरूप से रिविजनल सर्वे करा कर अंतिमरूप से नया खतियान और ग्राम मानचित्र प्रकाशित नहीं किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के बंदोबस्त कार्यालय अंतर्गत वर्ष–1932 के बाद भी विभिन्न वर्षों में सर्वे कराया गया है जिसका गजट प्रकाशन भी हुआ है। वर्तमान में बंदोबस्त कार्यालय अंतर्गत विभिन्न ग्रामों का रि–सर्वे हेतु अधिसूचिना निर्गत है एवं रि–सर्वे का कार्य भी प्रक्रियाधीन है।
4	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कारणों से वर्तमान में jharbhoomi.nic.in जो कि सरकार की जमीन संबंधी वेबसाईट है, जहाँ विभाग ने झारखण्ड की जमीनों का खतियान पंजी–II अपलोड किया है और इसके माध्यम से राज्य के नागरिक रैयती भूमि का मालगुजारी लगान ऑनलाईन पेमेंट के द्वारा जमा करते है कई जमीनों का खतियान एवं पंजी–II अनुपलब्धता के कारण अपलोड नहीं है,	स्वीकारात्मक।

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में झारखण्ड की रैयती जमीनों को रैयत के आधार कार्ड नंबर से जोड़ते हुए एक विशिष्ट भूमि पहचान संख्या निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	RoR को रैयत के आधार नंबर से जोड़ने हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में विभागीय पत्रांक–393/नि0रा0, दिनांक–19.09.2019 द्वारा NIC एवं सभी जिलों को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। उक्त के अलावा भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य के सभी भूखंडों का आधार सदृश्य 14 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) सृजित किया जा रहा है। वर्तमान में 83.21 प्रतिशत ULPIN सृजित किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक– 01/निदे0अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–23/2022 -182/(रा), राँची, दिनांक- 24-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड वि0स0स0 को उनके ज्ञाप संख्या–485/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/03/2022

सरकार के उप सचिव।

श्री, राज सिन्हा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.03.2022 को विधान सभा में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0– 52 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला में कई चिकित्सा पदधिकारी लगभग 10 वर्षों से या अधिक समय से लगातार पदस्थापित है;	विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 668(3) दिनांक 31.07.2021 द्वारा 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित चिकित्सकों को स्थानान्तरित करते हुए अन्य स्थानो पर पदस्थपित किया गया है। 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित अन्य चिकित्सकों को भी चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के आलोक में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन पर विचार किया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है, कि चिकित्सा पदाधिकारी लगातार कई वर्षों तक किसी संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बने रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित अवधि में चिकित्सा पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
3	क्या यह बात सही है, कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में नियम है कि चिकित्सा पदाधिकारियों का तबादल नियत समय, अंतराल पर अन्यत्र होता है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए निर्धारित नीति के आलोक में कार्यपालिका नियमावली के आधार पर आवश्यकतानुसार चिकित्सकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्षों से एक स्थान पर पदस्थापित चिकित्सा पदधिकारी का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, ता कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–3–07/2022 334(3) राँची, दिनांक: 23/3/22
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1157/वि0स0 दिनांक 09.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

23/3/22
सरकार के उप सचिव

237

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–25.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर सामग्री।

क्रमांक	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विधि विभाग की अधिसूचना 19.02.2018 के गजट सं0–111 (The Jharkhand Law Officer [Engagement] Rules, 2018) के अनुसार PP (Public Prosecutor) और APP (Additional Public Prosecutor) की नियुक्ति सर्च कमिटी के माध्यम से अधिवक्ताओं के मानक अनुभवानुसार अधिवक्ताओं के बीच से ही करना है;	:–	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विधि विभाग के 2018 (The Jharkhand Law Officer [Engagement] Rules, 2018) आने के बावजूद इसे अबतक लागू नहीं किया गया है;	:–	अस्वीकारात्मक। The Jharkhand Law Officer [Engagement] Rules, 2018 लागू है। उक्त नियमावली के प्रावधानों के तहत ही पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है (Engagement] Rules, 2018 के पैरा 5 के उपनियम–(6) का पालन नहीं हुआ है;	:–	अस्वीकारात्मक। The Jharkhand Law Officer [Engagement] Rules, 2018 के नियम–5 के उप नियम–6 का अनुपालन करने का दायित्व सर्च कमिटी को निर्धारित है एवं सर्च कमिटी के द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कानून को अक्षरशः लागू करते हुए पी0पी0 एवं ए0पी0पी0 की नियुक्ति करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	:–	अस्वीकारात्मक। पी0पी0 एवं ए0पी0पी0 के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रशासी विभाग है एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या–2479 दिनांक–04.08.2021 द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में पी0पी0 एवं ए0पी0पी0 की नियुक्ति की गई है।

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक–ए/विधि–वि0स0प्र0–05/2022–482/जे0 राँची, दिनांक– 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–478/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।